28

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क्र0 निगरानी —एक / निग0 / छतरपुर / भू—रा / 2017 / 4342

श्रीमती रजनी व अधिवक्ता 25071वां
द्वारा आज दि. 10/11/17 को
प्रस्तुत
10-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पं०दि० 21-11-17

10/11/17

1—तातुआ तनय ननकौला अहिरवार
2—मथुरा तनय ननकौला अहिरवार
निवासीगंण ग्राम बूदौर, थाना मातगुवॉ, तहसील व जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

——— आवेदकगंण

विरूद्ध

1—हरदास
2—दसईया
3—छिग्गां
4—तिजइयां
5—कल्लू
6—तेजराम पुत्रगंण मिठुवा अहिरवार
समस्त निवासीगंण ग्राम बूदौर, थाना मातगुवॉ, तहसील व जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
7— मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक, ईशानगर, तहसील व जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

——— अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2017 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल ईशानगर, तहसील व जिला छतरपुर के प्र0क0 75 / अ—12 / 2016—17 से परिवेदित होकर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी अनुभाग छतरपुर के पत्र कमांक 571 / 2017 / अनु0वि0अ0 / धारा 145 जा0फौ0 के आदेश दिनांक 24.07.2017 के पालन कराने बावत् प्रस्तुत है।

प्रथम
10/11/17

(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4342 तातुआ विरूद्ध हरदास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल ईशानगर के प्रकरण क्रमांक 75/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 7/1/19	